489

उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–6,
संख्या: 1272 /XX-6/2016–01(05)2010
देहरादून: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2016.12.26

अधिसूचना संख्या: 1272 /XX-6/2016–01(05)2010, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली–2016"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) गृह अनुभाग–6 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3. सचिव, उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. नियमावली प्रकोष्ठ (कार्मिक विभाग), उत्तराखण्ड शासन ।
7. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।

संलग्नक: यथोक्त ।

आज्ञा से,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव ।

DL 2872 Date 28/12/2016

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–6
संख्या:1872/बीस–6/1(05)2010
देहरादून, दिनांक:27 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय के समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी राजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली–2016

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. 1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड़ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 है।
   2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड़ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा में समूह 'क' व समूह 'ख' पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) 'आयोग' से लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड़ अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से **"भारत का संविधान"** अभिप्रेत है;

(ड.) 'सरकार' से उत्तराखण्ड़ की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड़ के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड़, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो; तथा

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2–संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, उतनी होगी जो **परिशिष्ट–'क'** में दी गई है:

परन्तु यह कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड सकेगें अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेगें कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नही होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. (1) **निदेशक**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 06 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, "श्रेष्ठता" के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि पात्र अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर समकक्ष पद या वेतनमान पर राज्य सरकार या संघ सरकार के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारी में से सेवा स्थानान्तरण द्वारा।

(2) **संयुक्त निदेशक**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि पात्र अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर समकक्ष पद या वेतनमान पर राज्य सरकार या संघ सरकार के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारियों में से सेवा स्थानान्तरण द्वारा।

(3) **उप निदेशक** – (3.1) **फिजीकल साईन्सेस (भौतिकी, आग्नेयास्त्र तथा प्रलेख अनुभाग)**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई वैज्ञानिक अधिकारियों में से जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण या कम्प्यूटर साईंस में एमएससी (या एमसीए) उत्तीर्ण हो तथा इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3.2) केमिकल साईन्सेस (रसायन, नारकोटिक्स, विष विज्ञान तथा विस्फोटक अनुभाग)– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई वैज्ञानिक अधिकारियों में से जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/एनालिटिकल केमिस्ट्री/विष विज्ञान में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 तथा केमिस्ट्री में स्पेशिलाईजेशन के साथ स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण हो तथा इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3.3) **बायोलॉजिकल साईन्सेस (जीवविज्ञान, सीरोलॉजी तथा डी0एन0ए0 अनुभाग)**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई वैज्ञानिक अधिकारियों में से जो भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ह्यूमेन बायोलॉजी/ फिजीकल एन्थ्रोपोलॉजी/ह्यूमेन जेनेटिक्स/ जीव–रसायनविज्ञान/मॉलिक्यूलर बायोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी में एम0एस0सी0 या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 तथा जीव विज्ञान/सीरोलॉजी में स्पेशिलाईजेशन उत्तीर्ण हो, तथा इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि पात्र अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर समकक्ष पद या वेतनमान पर राज्य सरकार या संघ सरकार के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारियों में से सेवा स्थानान्तरण द्वारा।

(4) **वैज्ञानिक अधिकारी** – (एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सम्बन्धित विषय में इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत् सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी **(क)** और **(ख)** के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (क) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि यह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड़ से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी **(ख)** से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रुप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में सीधी भर्ती के पदों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अर्हताऐं होनी चाहिए :–

2	**वैज्ञानिक अधिकारी**	**अनिवार्य अर्हता–** **(1) <u>भौतिकी तथा प्राक्षेपिकी अनुभाग</u>**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण **(2)** विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव। **(2) <u>रसायन, विष विज्ञान, विस्फोटक एवं नारकोटिक्स अनुभाग</u>**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/एनालिटिकल केमिस्ट्री/विष विज्ञान में एमएससी या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 के साथ केमिस्ट्री में स्पेशिलाईजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण **(2)** विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव। **(3) <u>जीव विज्ञान अनुभाग एवं डी0एन0ए0 अनुभाग</u>**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ह्यूमेन बायोलॉजी/फिजीकल एन्थ्रोपोलॉजी/ ह्यूमेन जेनेटिक्स/जीव–रसायन विज्ञान/ माइक्रोबायोलॉजी/मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एमएससी या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 तथा जीवविज्ञान/ सीरोलॉजी में स्पेशिलाईजेशन **(2)** विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव। **(4) <u>सीरम विज्ञान एवं डी0एन0ए0 अनुभाग</u>**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान /ह्यूमेन बायोलॉजी/ फिजीकल एन्थ्रोपोलॉजी/ह्यूमेन जेनेटिक्स/ जीव–रसायनविज्ञान/माइक्रोबायोलॉजी/मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एमएससी या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 तथा जीवविज्ञान/ सीरोलॉजी में स्पेशिलाईजेशन **(2)** विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव। **(5)<u>प्रलेख परीक्षण अनुभाग</u>**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान में एमएससी या विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साईंस) में एम0एस0सी0 के साथ फोरेन्सिक डाक्यूमेन्टस् में स्पेशिलाईजेशन तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान उत्तीर्ण **(2)** विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(6) कम्प्यूटर फॉरेंसिक्स अनुभाग– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कम्प्यूटर विज्ञान में एम0एस0सी0 अथवा एम0सी0ए0 उत्तीर्ण

(2) विधि विज्ञान प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का विश्लेषणात्मक अनुभव।

अधिमानी अर्हता–

(1) सम्बंधित क्षेत्र में पी0एच0डी0 किया हो।

(2) विधि विज्ञान के सम्बंधित क्षेत्र में परीक्षण कार्य एवं शोध का अनुभव।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा जिसमें–

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो;

(2) राष्ट्रीय कैडिट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये:

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पहले से ही किसी राज्य सरकार या संघ सरकार की किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सेवारत हो, ऐसी प्रयोगशालाओं में की गई सेवा अवधि के लिए जो अधिकतम पांच वर्ष तक होगी, उच्चतर आयु सीमा शिथिल कर सकते हैं।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नही होंगे:

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वास्थता

13. किसी भी सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में स्वस्थता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी।

भाग 5–भर्ती प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में, जो भुगतान किये जाने पर, यदि कोई हो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है, आमन्त्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को, जो, अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को, उनकी प्रवीणता–क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनको सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16. ''वैज्ञानिक अधिकारी'' के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17. (1). (क)''निदेशक'' के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कर्मिक विभाग –सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग –सदस्य

(ख)''संयुक्त निदेशक'' तथा ''उप निदेशक'' के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा।

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कर्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन से निम्न स्तर का न हो, –सदस्य
(3) विभागाध्यक्ष –सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली,2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझें जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम 17(2)में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से बारी–बारी से इस प्रकार लिये जायेंगे कि सीधी भर्ती किये गये और पदोन्नति किये गये व्यक्तियों का विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम में लेकर जिसमें वे नियम 15,16 अथवा 17 यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हो, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस कम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी रूप से भी उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूची में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक समय के लिए नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा

20(1). (1) सेवा में किसी भी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा में रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढाई गयी है, अवधि बढा सकता है। जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नही है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी है, किसी प्रतिकार का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रुप में प्रदान की गयी हो।

परिवीक्षा जहां आवश्यक न हो

20(2). किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा यदि उसे उसी संवर्ग के किसी पद पर, जहां भर्ती का स्रोत केवल प्रान्नति ही हो, विहित प्रकिया का पालन किये जाने के पश्चात् नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है।

स्थायीकरण

21. किसी व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि उसने--

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;
(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;
(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा
(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

22. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखंड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रुप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी चयन के सम्बंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 19 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो;

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य–भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या किसी एक स्रोत से की जाएं और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित हो, वहां परस्पर ज्येष्ठता नियम 19 के अनुसार तैयार की गयी सूची के नामों को चकीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे;

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती है, और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं, और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम(इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चकीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहां नियमों व विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां, सुसंगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थयों में किसी अन्य स्रोत से भरी जाए, और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाएं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायेगी मानों इन्हें उनके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध ही नियुक्त किया गया हो।

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्यिों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त **परिशिष्ट 'क'** में दिया गया है।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

24. **(1)** मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति यदि स्थायी सरकारी सेवा में नही है, जो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ऐसी बढाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हैं, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत् सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 7 – अन्य प्राविधान

अधियाचन

25. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नही आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत् सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगें।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देंगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें:

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव, गृह।

परिशिष्ट–'क'

नियमावली में उल्लिखित पद गृह अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या 938/बीस–6/01(03)2007 दिनांक सितम्बर 04, 2015 द्वारा स्वीकृत हैं।

{नियम 4 का उपनियम (2) तथा नियम 23 का खण्ड उप नियम (2) देखिए}

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान (रू0 में)	ग्रेड पे (रू0 में)	कुल पदों की संख्या
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1.	निदेशक	PB-4 (37400-67000)	8700	01
2.	संयुक्त निदेशक	PB-3 (15600-39100)	7600	02
3.	उप निदेशक	PB-3 (15600-39100)	6600	05
4.	वैज्ञानिक अधिकारी	PB-3 (15600-39100)	5400	16

*****

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव,गृह।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"** the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No 1872 /XX-6/01(05)2010, Dehradun,dated....27.....2016 for general information.

Government of Uttarakhand

Home Section-6

No.1872 /XX-6/01(05)2010

Dehradun, Dated- 27 2016

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the **'constitution of India** 'and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand State Forensic Science Laboratory Technical Officers Gazetted Service .

The Uttarakhand State Forensic Science Laboratory Technical Officers Service Rules, 2016

PART 1 – GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called "The Uttarakhand State Forensic Science Laboratory Technical Officers Service Rules 2016".

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. (1) The Uttarakhand Government State Forensic Science Laboratory Technical Officers. Service is Comprising Group A and B posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or content, in this service rule-

(a) **'Appointing Authority'** means the Governor.

(b) **'Citizen of India'** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part –two of the "Constitution of India";

(c) **'Commission'** means "Public Service Commission Uttarakhand;"

(d) **'Constitution'** means the "Constitution of India;"

(e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **'Member of the service'** means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) **'Service'** means the Uttarakhand State Forensic Science Laboratory Technical Officers Service.

(i) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the government; and

(j) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART 2 – CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to

time.

(2) The Strength of the service and of each category of posts therein shall, until Orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in **Appendix-'A';**
Provided that—

(a) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to Compensation;

(b)The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART 3 – RECRUITMENT

Source of recruitment

5. **(1) Director** - By promotion from Joint Directors appointed substantially who have completed 06 years service on Ist day of the year of appointment, on the basis of "merit " subject to the rejection of unfit by the selection committee.

Provided that if suitable candidate is not available , by transfer of services in equivalent post or pay scale working under State Government or Central Government Forensic Science Laboratory.

(2) Joint Director - By promotion from Deputy Directors appointed substantially who have completed 07 years service on Ist day of the year of appointment on the basis of "seniority" subject to the rejection of unfit by the selection committee.

Provided that if suitable candidate is not available , by transfer of services in equivalent post or pay scale working under State Government or Central Government Forensic Science Laboratory.

(3) Deputy Director – (3.1) Physical Sciences (Physics, Ballistics and Documents Section)- By promotion from permanent Scientific Officers appointed substantially who have completed 07 years service on Ist day of the year of appointment on the basis of "seniority" subject to the rejection of unfit by the selection committee and passed M.Sc. in Physics or M.Sc. in Forensic Science with Physics or Chemistry as one of the subject at Graduation label or M.Sc. in Computer Science (or M.C.A.) from a recognized University.

(3.2) Chemical Sciences (Chemistry, Narcotics, Toxicology and Explosive Section)- By promotion from permanent Scientific Officers appointed substantially who have completed 07 years experience on Ist day of the year of appointment on the basis of "seniority" subject to the rejection of unfit by the selection committee and passed M.Sc. in Chemistry/Analytical Chemistry/Toxicology or M.Sc. in Forensic Science with specialization in chemistry and Chemistry as one of the subject at Graduation label from a recognized University.

(3.3) Biological Sciences (Biology, Serology and DNA Section)- By promotion from permanent Scientific Officers appointed substantially who have completed 07 years experience on Ist day of the year of appointment on the basis of "seniority" subject to the rejection of unfit by the selection committee and passed M.Sc. in Zoology/Botany /Human Biology/Physical Anthropology/Human Genetics/ Biochemistry /Molecular Biology/Micro Biology or M.Sc. in Forensic Science with specialization in Biology/ Serology from a recognized University.

Provided that if suitable candidate is not available , by transfer of services of working officers in equivalent post or pay scale working under State Government or Central Govemment Forensic Science Laboratory.

(4) Scientific Officer- (i) 50 Percent by direct recruitment through the commission.

(ii) 50 Percent by Promotion from amongst permanent Senior Scientific Assistants appointed substantially who have completed 05 years experience on Ist day of the year of appointment on the basis of "seniority" subject to the rejection of unfit by the selection committee.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Nationality

7. A candidate for recruitment to any post in the service must be:--

(a) A citizen of India; or.

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or.

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African country, Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a candidate belonging to category (a) and (b) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government ;

Provided further that a candidate belonging to category (a) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand ;

Provided also that if a candidate belongs to category (b) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note : A Candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate should be obtained by him or issued in his favour.

PART 4 – QUALIFICATION

Academic Qualification

8. A candidate for the direct recruitment to the recruiting posts in the service must possess the following qualifications:--

(1) **Scientific Officer**

Essential Qualification :

(1) Physics and Ballistics Section- M.Sc. in Physics or M.Sc. in Forensic Science with Physics or Chemistry as one of the subject at Graduation label from a recognized University.

(2) At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.

(2) Chemistry, Toxicology, Explosive and Narcotics Section- M.Sc. in Chemistry/Analytical Chemistry/Toxicology or M.Sc. in Forensic Science with specialization in chemistry and Chemistry as one of the subject at Graduation label from a recognized University.

(2) At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.

(3) Biology and DNA Section- M.Sc. in Zoology/Botany/Human Biology/Physical Anthropology/Human Genetics/ Biochemistry /Micro Biology/Molecular Biology or M.Sc. in Forensic Science with specialization in Biology/Serology from a recognized University.
(2) At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.

(4) Serology and DNA Section- M.Sc. in Zoology/Botany/Human Biology/Physical Anthropology/Human Genetics/ Biochemistry / Micro Biology/ Molecular Biology or M.Sc. in Forensic Science with specialization in Biology/Serology from a recognized University.
(2) At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.

(5) Document Examination Section- M.Sc. in Physics/ Chemistry or M.Sc. in Forensic Science with specialization in Forensic Documents and passed Physics or Chemistry as one of the subject at Graduation label from a recognized University.
(2) At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute.

(6) Computer Forensics Section- M.Sc. in Computer Science or MCA from a recognized University.
(2) At least 05 years Analytical experience in a Forensic Science laboratory or Institute

Desirable Qualification :
(1) Ph.D in the relevant discipline.
(2) Experience of analysis work and research in the relevant field of Forensic Science.

Preferential Qualification

9. A candidate who has-
(1) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years,
(2) Obtained a "B" or "C" certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of minimum 21 years and maximum 42 years on July 1st of the year in which recruitment is to be made.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Provided further that in case of a person already in service in any Forensic Science Laboratory of any State government or Union Government the appointing authority may relax the upper age-limit by the period of service rendered in such Laboratory subject to a maximum of five years.

Character

11. The character of the candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for

employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note : Persons dismissed by the union Government or a State Government or by a local Authority or a Corporation or Body owned controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:
Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass and examination by a Medical Board.

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other categories belonging to State of Uttarakhand under Rule 6.

Procedure for Direct recruitment

15. (1) Application for being considered for selection for direct recruitment shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the secretary to the Commission on payment, if any.
(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications as they consider proper.
(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure for recruitment by promotion through Public Service Commission

16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of merit/ seniority (subject to the rejection of unfit) in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time

Procedure for recruitment by promotion outside the perview of the Public Service Commission

17. **(1)**.(a) For promotion of the post of "Director", there shall be constituted a departmental selection committee comprising –

(1) Chief Secretary, Government of Uttrakhand - Chairman
(2) Principal Secretary/Secretary,Karmik Department - Member
(3) Principal Secretary/Secretary,Home Department - Member

(b) For promotion of the post of "Joint Director" and "Deputy Director" on the basis of "seniority" subject to the rejection of unfit by the selection committee, there shall be constituted a selection committee comprising –

(1) Principal Secretary/Secretary, Home, Government of Uttarakhand - Chairman
(2) Principal Secretary/Secretary, Karmik, Government of Uttarakhand or any nominated officer by them not below the rank of Joint Secretary, Government of Uttrakhand - Member
(3) Head of the Department - Member

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in accordance with the Uttarakhand (**outside the perview of the Public Service Commission**) Selection eligibility list Rules, 2003 as amended from time to time and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them as may be consider proper.

(3) The selection committee shall consider the cases if candidates on the basis of the records referred to in sub-rule 17(2) and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The selection committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

Combined select list

18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists as rule 15 and 16 in such manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list being of the person appointed as rule 16 by promotion.

PART VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 15, 16 or 17 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

(3) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make

appointments in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier, and where the post is within the purview of the Commission, of the Uttarakhand Public Service Commission shall apply.

Probation 20(1). (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted.

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Probation where not required 20(2) A person shall not be placed on probation if the person appointed in the same cadre post where the recruitment source is only promotion promoted on the regular basis after applying the prescribed procedure.

Confirmation 21. A probationer shall be confirmed in his appointment at end of the period of probation of the extended period of probation, if-

(a) he has passed the prescribed departmental examination, if any.
(b) he has successfully undergone the prescribed training, if any.
(c) his work and conduct is reported to be satisfactory.
(d) his integrity is certified, and
(e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority 22. (1) The seniority of persons in any category of post shall be determined by Uttarakhand Government Service (seniority fixation) Rules 2002. If two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

Provided further that, if more than one orders of appointment ae issued in respect of any one selection the seniority shall be as mentioned in he combined order of appointment issued under sub-rule (3) of rule 19.

(2) The Seniority interse of persons appointed directly on the result of nay one selection, shall be the same has determined by the commission or, as the case may be, by selection committee.

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is

offered to him.

(3) The seniority interse of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, interse seniority shall be determined by arranging the names in cyclic order in a combined list, prepared in accordance with rule 19 in such manner that the prescribed percentage is maintained.

Provided that;

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year or year in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointment shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

Scales of pay

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in **Appendix 'A'**.

Pay during probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who has already been holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VII- OTHER PROVISIONS

Canvassing

25. No recommendations, other than those required under the rules applicable to the post or service will be take into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Saving

28. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

(Dr. Umakant panwar)
Principal Secretary

APPENDIX-A

[See Rule 3(A) and 4(2)]

Sanctioned by Home Section-6 Government Order No. 938/XX-6/01(03)2007 dated 04.09.2015

[See Rule 23(2) and 4(2)]

S.No.	Name of the Post	Revised Pay scale (in Rs.)	Grade Pay (in Rs.)	Number of Total Posts
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1.	Director	PB-4 (37400-67000)	8700	01
2.	Joint Director	PB-3 (15600-39100)	7600	02
3.	Deputy Director	PB-3 (15600-39100)	6600	05
4.	Scientific Officer	PB-3 (15600-39100)	5400	16

*****

By Order,

(Dr. Umakant panwar)
Principal Secretary